भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 632

उत्तर देने की तारीख : 23.07.2025

वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए यूएमईईडी पोर्टल

632. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री मनीष जायसवाल:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण दक्षता और विकास (यूएमईईडी-उम्मीद) पोर्टल आरंभ किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश भर के विभिन्न वक्फ बोडों के लिए उक्त पोर्टल पर संपत्तियों को पंजीकृत करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न वक्फ बोर्डों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) यह पोर्टल देश के गरीब मुसलमानों, विधवाओं और नागरिकों के लिए किस प्रकार लाभकारी होगा; और

(ङ) क्या सरकार की देश में, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु वक्फ संपत्तियों पर आधुनिक स्कूल/कॉलेज खोलने/स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (UMEED) अधिनियम, 1995 की धारा 3(टक) के अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने दिनांक 06.06.2025 को UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 विकसित और लॉन्च किया है। यह पोर्टल तीन-स्तरीय उपयोगकर्ता संरचना निर्माता, परीक्षक और अनुमोदन पद्धति पर काम करता है ताकि वास्तविक समय में सत्यापित डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित की जा सके

और मौजूदा औकाफ़ के अप्रासंगिक या गलत विवरणों को अपलोड होने से रोककर डेटा की सत्यता बनाए रखी जा सके। मौजूदा औकाफ़ के विवरण अपलोड करने के तरीके को रेखांकित करने वाला एक विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल तैयार किया गया है, जिसे सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के साथ साझा किया गया है और पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अधिनियम, 1995 की धारा 3ख(1) के अनुसार, वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी डेटा को अधिनियम के प्रारंभ होने से छह महीने की अवधि के भीतर अर्थात् दिनांक 08.04.2025 तक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों ने उम्मीद केंद्रीय पोर्टल-2025 पर डेटा प्रविष्टि शुरू कर दी है, उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) उम्मीद केंद्रीय पोर्टल-2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की संपूर्ण व्यवस्था को स्वचालित करके उनके प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इससे गरीब मुसलमानों, विधवाओं और अन्य लाभार्थियों के कल्याण के लिए वक्फ संपत्तियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा, दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और कुशल सेवा वितरण को बढ़ावा मिलेगा।

एक बार जब वक्फ संपत्तियों की पूरी क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा, तो यह व्यवस्था कमजोर समुदायों, विशेष रूप से गरीबों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इन परिसंपत्तियों का उचित प्रबंधन और रणनीतिक उपयोग अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों और अनाथालयों जैसे महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी संस्थानों की स्थापना को सुगम बना सकता है, जिससे विकास और कल्याण परिदृश्य पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

*****

अनुबंध-I

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव, श्री सुधीर गुप्ता, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे, श्री मनीष जायसवाल द्वारा 'वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए यूएमईईडी पोर्टल' विषय पर दिनांक 23.07.2025 के लिए उठाया गया लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 632

वक्फ उपयोगकर्ता रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य वक्फ बोर्ड	अपलोडिंग प्रक्रिया शुरू करने वाले निर्माताओं की संख्या	प्रस्तुत निर्माताओं की संख्या	प्रस्तुत किए गए सत्यापन कर्ताओं की संख्या	स्वीकृत अनुमोदन कर्ताओं की संख्या	कुल अस्वीकृत संपत्ति	अनुमोदन हेतु लंबित कुल संपत्ति
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	59	4	0	0	3	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4.	असम	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार शिया	2	0	0	0	0	0
6.	बिहार सुन्नी	14	5	0	0	0	0
7.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
8.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	3	1	0	0	0	0
10.	गोवा	0	0	0	0	0	0
11.	गुजरात	37	0	0	0	0	0
12.	हरियाणा	1	0	0	0	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	2	4	0	0	0	0
14.	जम्मू और कश्मीर	31	0	0	0	0	0
15.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
16.	कर्नाटक	10	0	0	0	0	0
17.	केरल	2	0	0	0	0	0
18.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	राज्य वक्फ बोर्ड	अपलोडिंग प्रक्रिया शुरू करने वाले निर्माताओं की संख्या	प्रस्तुत निर्माताओं की संख्या	प्रस्तुत किए गए सत्यापन कर्ताओं की संख्या	स्वीकृत अनुमोदन कर्ताओं की संख्या	कुल अस्वीकृत संपत्ति	अनुमोदन हेतु लंबित कुल संपत्ति
20.	मध्य प्रदेश	5	0	0	0	0	0
21.	महाराष्ट्र	14	0	0	0	0	0
22.	मणिपुर	4	5	0	0	0	0
23.	मेघालय	1	0	0	0	0	0
24.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	179	10	0	0	1	0
27.	पुडुचेरी	2	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	3	2	0	0	0	0
29.	राजस्थान	9	2	0	0	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
32.	तेलंगाना	5	0	0	0	0	0
33.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1	0	0	0	0	0
34.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
35.	उत्तराखंड	7	2	0	0	0	0
36.	उत्तर प्रदेश शिया	2	0	0	0	0	0
37.	उत्तर प्रदेश सुन्नी	17	1	0	0	0	0
38.	पश्चिम बंगाल	7	0	0	0	0	0
	कुल	**420**	**36**	**0**	**0**	**4**	**0**

*****